फर्द अहकाम
न्यायालय : सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौथ का बरवाड़ा
दीवानी प्रकरण संख्या 135/2021
पुराना दीवानी प्रकरण संख्या 143/2017
पूरणमल वगैरह बनाम जन्सी वगैरह

तारीख हुक्म	आदेश	आदेश की पालना बाबत् रिपोर्ट
03.11.2025	वादी पूरणमल मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 विजय मय अधिवक्ता उपस्थित। साक्ष्यवादी में गवाह पूरणमल व परमानंद उपस्थित। गवाह पूरणमल के मुख्य परीक्षण में बयान लेखबद्ध किये गये। इसी स्तर पर प्रतिवादी संख्या 02 पदमचंद की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर गवाह के बयान डेफर किये गये। प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता वादी को दिलाई गई। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे मौखिक बहस किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्षीय सुनी गई। इस आदेश द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी 2 पदमचंद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 सिविल प्रकिया संहिता दिनांकित 03.11.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी/प्रतिवादी पदमचंद द्वारा आदेश 9 नियम 7 सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि उनवानी प्रकरण में दिनांक 15.09.2025 को एक्सपार्टी निर्णय दिनांक 01.08.2025 निरस्त करवाने की प्रस्तुत की उसमें सहवन से केवल प्रतिवादी विजय पुत्र जंसी की ओर से प्रस्तुत हुयी थी, जबकि इसी मुकदमे में पदमचंद पुत्र जंसी भी प्रतिवादी है जो सहवन से नाम लिखना रह गया है, जबकि वकील वह दोनों प्रतिवादी के हैं। अतः निवेदन है कि न्यायहित में प्रतिवादी पदम चंद के विरुद्ध एक्सपार्टी सेट एसाईड करने की कृपा करें। वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर मौखिक बहस किये जाने का निवेदन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये कथन	

सिविल न्यायाधीश
चौथ का बरवाड़ा जिला स.मा. (राज.)

किये है कि प्रार्थना पत्र एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करवाये जाने बाबत् से सहवन से केवल प्रतिवादी विजय पुत्र जंसी की ओर से प्रस्तुत हो गया, जबकि इसी मुकदमे में पदमचंद पुत्र जंसी भी प्रतिवादी है, जो सहवन से नाम लिखना रह गया है, जबकि वकील प्रतिवादी दोनों का है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर एकतरफा निर्णय को पदमचंद के विरुद्ध निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण/वादीगण अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर दौराने मौखिक बहस कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में जान–बूझकर विलंब कारित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा बताया गया कारण संतोषप्रद नहीं है। अंत में प्रार्थना पत्र मय हर्ज खर्चे के खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी पदमचंद द्वारा दिनांक 01.08.2025 को पारित एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को निरस्त फरमाये जाने का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादी संख्या 03 विजय द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र दिनांकित 15.09.2025 को एक्स पार्टी के निर्णय को निरस्त करवाने के लिये प्रस्तुत किया गया था। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त प्रकरण टारगेट संख्या 16 है। उक्त प्रकरण दिनांक 30.05.2025 को वास्ते सुनवाई नियत था। दिनांक 30.05.2025 से 22.07.2025 नियत किया गया। दिनांक 22.07.2025 को कर्मचारीगण के सामूहिक अवकाश पर होने से टारगेट प्रकरणों में दिनांक 22.07.2025 को दिनांक 29.07.2025 नियत की गई तथा टारेगट केस के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में दिनांक 19.08.2025 नियत किया गया, जिसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। उक्त प्रकरण टारगेट केस होने से मुताबिक नोटिस बोर्ड के अनुसार दिनांक 29.07.2025 को पेशी में लिया गया। उस दिन वादी के अधिवक्ता उपस्थित आये एवं प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कारण उचित आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 01.08.2025

सिविल न्यायाधीश
चौथ का बरवाड़ा जिला स.मा. (राज.)

नियत की गई। दिनांक 01.08.2025 को वादी पूरणमल मय अधिवक्ता उपस्थित आया। परंतु प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया, इसलिये प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 जन्सी फौत हो चुका था, जिसका नाम डिलीट किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर उसका नाम वादपत्र उसे दिनांक 18.04.2023 को डिलीट किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 08.08.2025 को भी वादी के अधिवक्ता उपस्थित आये, परंतु प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। दिनांक 20.08.2025 को भी वादी अधिवक्ता उपस्थित आये, परंतु प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आयें। दिनांक 29.07.2025 को प्रतिवादी विजय मय अधिवक्ता उपस्थित आये। उनके द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश करने का अवसर चाहा। चूंकि प्रकरण अभी प्रारंभिक स्तर पर है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने से वादीगण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना दर्शित नहीं होता है। दिनांक 01.08. 2025 के पश्चात् प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये व वाद बाहुल्यता को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 पदमचंद को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र करीब 10 पेशियों के पश्चात् 03 महीने पश्चात् पेश किया है। जहां तक प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है चूंकि अपना पक्ष यथोचित समय पर पेश करने का दायित्व स्वंय प्रार्थी पर था, परंतु उसके द्वारा समय पर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर हस्तगत प्रार्थना पत्र को देरी से पेश किया गया। इसलिये प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 पदमचंद पर कोस्ट अधिरोपित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 पदमचंद का प्रार्थना पत्र 2000/रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 पदमचंद के विरुद्ध पारित आदेश 01.08.2025 को अपास्त किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी/प्रतिवादी

सिविल न्यायाधीश
थ का बरवाड़ा जिला स.मा. (राज.)

संख्या 2 पदमचंद की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश आदेश 9 नियम 7 सिविल प्रकिया संहिता दिनांकित 03.11.2025 को 2000/रूपये (अक्षरे दो हजार रूपये) के हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। कोस्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर में जमा करवाई जाकर उसकी रसीद आगामी तारीख पेशी पर आवश्यक रूप से पेश करें। कोस्ट अदायगी आगामी कार्यवाही हेतु पूर्ववर्ती शर्त रहेगी।

आगामी तारीख पेशी पर साक्ष्य वादी में गवाहान को उपस्थित रखें। पत्रावली वास्ते पेश होने कोस्ट अदायगी रसीद/साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 19.11.2025 को पेश हो।

(हेमन्त मेहरा)
सिविल न्यायाधीश, चौथ का बरवाड़ा
सवाई माधोपुर

सिविल न्यायाधीश
चौथ का बरवाड़ा जिला स.मा. (राज.)